कार्यालय जनपद न्यायाधीश मथुरा में लिपिकों/आशुलिपिको/ समूह घ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु रोजगार विज्ञप्ति संख्या–01/2010 दिनांकः 19 जुलाई, 2010

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एंव सत्र न्यायाधीश मथुरा के कार्यालय में उपरोक्त पदों के भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञप्ति जो कि लिपिकों एवं हिन्दी आशुलिपिकों के चयन हेतु को, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं0 10702/एडमिन/डी/ सेक्शन दिनांकित 8.7.10 के द्वारा विज्ञप्ति सं0 2/08 प्रकाशित 2 अगस्त 2008 को निरस्त करते हुए पुनः तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं आशुलिपिकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः तदनुसार पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति को एतदद्वारा निरस्त करते हुए जनपद न्यायालय, मथुरा में निम्नलिखित अस्थाई पदों हेतु भारतीय नागरिकों में पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते है ।

क्रमांक	पदनाम व वेतनमान	रिक्तियां	योग्यता
1	आशुलिपिक ग्रेड–3 (तृतीय श्रेणी) 5200–20200 ग्रेड पे 2800	07	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड इण्टरमीडिएट /या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अनिवार्य योग्यता आशुलेखन 100 शब्द प्रति मिनट व टंकण 35 शब्द प्रति मिनट ,किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपिक व टंकण का डिप्लोमा । अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं की योग्यता रखेंगे उन्हें वरीयता दी जायेगी । इस वरीयता को प्राप्त करने हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संबधी योग्यता का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा
2	लिपिक (तृतीय श्रेणी) 5200– 20200 ग्रेड पे 1900	30	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टर मीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्त्तीर्ण । कम्प्यूटर टाइपराइटिंग हिन्दी व अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता दी जाएगी । हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है । वरीयता हेतु किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ।
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन 4440–7440 ग्रेड पे 1300	20	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जूनियर हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। हिन्दी व अग्रेजी लिखने व पढने भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है । साइकिल चलाना (महिला अभ्यर्थी छोडकर) अभ्यर्थी जो निम्न विधाओं में दक्षता व अनुभव रखेंगे उन्हें विशेष वरीयता दी जायेगी जैसे बिजली मिस्त्री, बढई, प्लम्बरिग, कुर्सी बुनाई, बागवानी का कार्य, वाहन चालन व ऐसी ही कोई विशेष योग्यता ।

नोट – रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटायी या बढाई जा सकती है ।

1– आयु– दिनांक 1.7.2010 को 18 बर्ष से कम तथा 35 बर्ष से अधिक न हो । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम 05 बर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।

2–आरक्षण– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को समय समय पर तत्प्रवृत्त जारी शासनादेशों के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे। क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा ।

3–शुल्क– आशुलिपिक तथा लिपिक संवर्ग अनारक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा 300/– रूपये तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के द्वारा 150/– रूपये तथा समूह घ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 100/– रूपये एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50/– रूपये शुल्क देय होगा । शुल्क आवेदनपत्र के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश मथुरा (मथुरा में देय) के नाम प्रेषित करना होगा ।

4– पिछली विज्ञप्ति के आधार पर जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा जो वर्तमान में विज्ञप्ति के आधार पर निर्धारित आयु सीमा में आते है, वे पुनः आवेदन कर सकते है और इस विज्ञप्ति के अनुसार देय फीस में से वह पूर्व में अदा की गयी फीस को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर सकेंगे । पूर्व का अनुक्रमांक आवेदनपत्र में उल्लिखित करना अनिवार्य होगा ।

5– प्राधिकृत प्रारूप पर आवेदनपत्र स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 21.08.2010 को 5 बजे अपरान्ह तक जनपद न्यायालय मथुरा में प्राप्त किये जावेंगे। तत्पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

6– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न करना आवश्यक है :–

क– लिपिक एव ंआशुलिपिक के पद हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने संबधी अंक तालिका व प्रमाणपत्र तथा आशुलेखन व टंकण की योग्यता के समर्थन में किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र ।

ख– समूह घ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु शैक्षिक योग्यता, यदि कोई हो, उसके प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

ग– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडावर्ग, विकलांग एवं अन्य आरक्षित वर्ग का होने के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप पर निर्गत प्रमाणपत्र ।

घ– सेवायोजन कार्यालय, यदि पंजीकृत हो, तो पंजीयन प्रमाणपत्र की फोटोप्रति ।

ड– जिस विद्यालय से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाणपत्र एवं इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाणपत्र ।

च– अन्य प्रमाणपत्र जो अभ्यर्थी अपने क्रियाकलापों या अतिरिक्त योग्यताओं के सम्बन्ध में देना चाहता हो ।

7– अभ्यर्थी आवेदनपत्र के साथ रजिस्ट्री 25–25 रुपये के डाक टिकट सहित तीन लिफाफे जिनमें से प्रत्येक पर अपना पूर्ण व सुस्पष्ट पता लिखकर संलग्न करेगा ।

8– अभ्यर्थी आवेदनपत्र व प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर पासपोर्ट आकार का अपना आवक्ष फोटो जिस पर उसके पठनीय सतिथि हस्ताक्षर अंकित होंगे, चिपकायेगा ।

9– आवेदन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क की उक्त धनराशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी ।

10– आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को उसके सम्बन्ध में विर्निदिष्ट दावा करते हुए आवश्यक जाति/ श्रेणी प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा । क्षैतिज आऱक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा ।

11– लिपिक अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा तथा आशुलिपिक हेतु आशुलेखन तथा टंकण की परीक्षा भी आवश्यक होगी । लिखित परीक्षा इण्टरमीडिएट स्तर की होगी ।

क्रम	विषय	पूर्णाक
क	सरल ड्राफ्टिंग हिन्दी में	50 अंक
ख	निबन्ध व सार लेखन	50 अंक
ग	सरल ड्राफ्टिंग अंग्रेजी	50 अंक
घ	सामान्य ज्ञान	50 अंक
2क	आशुलेखन	50 अंक
2ख	टंकण	50 अंक

नोट– लिपिक के पद हेतु टंकण तथा आशुलेखन परीक्षा ऐच्छिक है ।

12क– आशुलिपिक तथा लिपिक लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । आशुलिपिक हेतु आशुलेखन व टंकण में न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगी ।

ख–चतुर्थ श्रेणी अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी जो चयन का आधार होगी । विज्ञापित पदों की संख्या में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी ।

ग– उक्त प्रतीक्षा सूची, विज्ञापित उक्त पदों में से अंतिम पद से भर्ती पर समाप्त हो जायेगी अर्थात विज्ञापित पदों के अतिरिक्त कोई अन्य पद इस प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा ।

13– अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन तथा निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु से क्रमशः कम व अधिक आयु के अभ्यर्थियों के आवेदनपत्र तत्काल निरस्त कर दिये जायेंगे । चयन व नियुक्ति के किसी भी चरण पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी विशेष विज्ञापित पद के लिए अन्यथा उपयुक्त नहीं है उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

14– लिखित परीक्षा जो कि निमित्त यथा आवश्यकता चिन्हित परीक्षा केन्द्रो/ स्थलों पर आयोजित होगी, में सम्मिलित होने के लिए कोई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को अपने परिवहन निवास भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

15– प्रवेश पत्र जिनमें लिखित परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अंकित होगी ।

अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये लिफाफे से ही रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह डुप्लीकेट प्रवेशपत्र उक्त सम्बन्ध में आवेदन कर लिखित परीक्षा हेतु नियत तिथि से दो दिन पूर्व 10 बजे प्रातः से सांय 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से जनपद न्यायालय मथुरा में परीक्षा कार्यालय से उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है । इस हेतु उसे सत्यापित तीन फोटो लाने होंगे ।

16– लिखित परीक्षा हेतु अर्ह प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका ही प्रदान की जायेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु लेखन सामग्री स्वयं लेकर आयेंगे ।

17– परीक्षा परिसर में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन आदि का प्रयोग व धारण पूर्णतः वर्जित होगा ।

18– निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की सूचना जिला न्यायालय मथुरा के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी तथा उक्त सम्बन्ध में पृथक सें कोई सूचना अभ्यर्थी विशेष को प्रेषित नही की जायेगी ।